न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजगोपाल बनाम [illegible]

72/2022

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04.09.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
04.09.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अनापत्ति पेश की। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.09.26 15:43:01 IST Reason: SelfAttested 04/09/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
72 / 2023	2023 / 153	15.05.2023	04.09.2023

उनवान प्रकरण

1. रामगोपाल पुत्र नाथूराम आयु 65 वर्ष
2. सुवालाल पुत्र नाथूराम आयु 59 वर्ष
3. मुरलीधर पुत्र नाथूराम आयु 51 वर्ष
4. प्रहलाद पुत्र नाथूराम आयु 45 वर्ष
5. मुरली देवी पुत्री नाथूराम आयु 63 वर्ष
6. पांची देवी पुत्री नाथूराम आयु 61 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण बड़ी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–– वादीगण––

बनाम्

1. दिनेश पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 48 वर्ष
2. राजेन्द्र पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 44 वर्ष
3. श्रीराम पुत्र स्व. अर्जुनलाल आयु 42वर्ष
4. भूरी पत्नी स्व. अर्जुनलाल आयु 75वर्ष
5. गीता पुत्री स्व. अर्जुनलाल आयु 50 वर्ष
6. सुण्डी देवी पुत्री स्व. अर्जुनलाल आयु 46 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7 बंशीलाल पुत्र स्व. गीगा आयु 63 वर्ष

8 शीशराम पुत्र स्व. गीगा आयु 60 वर्ष

9 मदनलाल पुत्र स्व. गीगा आयु 59 वर्ष

10 प्यारसीदेवी पत्नी स्व. गीगा आयु 82 वर्ष

11 मनभरी देवी पुत्री स्व. गीगा आयु 57 वर्ष

12 सुशीला पुत्री स्व. गीगा आयु 45 वर्ष

13 राधा पुत्री स्व. गीगा आयु 55 वर्ष

14 छोटी देवी पुत्री स्व. गीगा आयु 52 वर्ष

15 पेम्पा देवी पुत्री स्व. गीगा आयु 49 वर्ष

16 चोथमल पुत्र दोलाराम आयु 45 वर्ष

17 चोथी पुत्री कानाराम आयु 60 वर्ष

18 जगदीश पुत्र कानाराम आयु 75 वर्ष

19 तीजा पुत्री कानाराम आयु 65 वर्ष

20 दाखा देवी पत्नी दौलाराम आयु 85 वर्ष

21 बाबूलाल पुत्र दौलाराम आयु 62 वर्ष

22 बाबूलाल पुत्र कानाराम आयु 61 वर्ष

23 बिडदीचन्द पुत्र दोलाराम आयु 57 वर्ष

24 मोहनलाल पुत्र कानाराम आयु 70 वर्ष

25 रामोडी पुत्री दोलाराम आयु 42 वर्ष

26 सन्ती देवी पुत्र दोलाराम आयु 45 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण बडी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

27 पटवारी पटवार हल्का थोई जिला सीकर

28 उपपंजियक अजीतगढ जिला सीकर राज0

29 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— प्रतिवादीगण —

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:–

श्री कमलेश कुमार शर्मा– I, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 7, 9, 18 व 22 अभिभाषक।

श्री रामावतार सैनी– I, एड0 प्रतिवादी संख्या 16, 21 व 23 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 29 की ओर से।

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2266, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 कुल किता 12 कुल रकबा 2.52 हैक्टर तन् ग्राम बड़ी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं मृत्तक खातेदार अर्जुनलाल, गीगा के नाम से अंकित है। अर्जुनलाल एवं गीगा का स्वर्गवास होने के कारण प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 है। उक्त भूमियॅा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियॅा है। उक्त वर्णित भूमियॅा वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 26 की शामलाती खातेदारी काश्त की भूमियॅा है। उक्त भूमियो का पक्षकारान के मध्य कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 26 द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से वादीगण से वाद–विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप मे उपयोग करने में अवरोध कारित किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 2266 मे वादीगण के पुख्ता मकानात व पशुओं के [illegible] हुये है एवं खसरा नम्बर 2311

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

04/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व 2311 से सटाकर लगता हुआ रास्ता है। जिसमे ग्राम पचायत द्वारा सी.सी. रोड बनी हुयी है। इसी खसरा नम्बर से होकर वादीगण अपनी कृषि भूमि मे जाता है। प्रतिवादीगण के मन मे अब बदयान्ति आ गई है और जोर जबरन ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने एव उक्त चालू रास्ते को बद करने एव उक्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान कर वादीगण के हिस्से मे आई भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा करवाने पर आमादा हो रहे है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण ने काफी बार प्रतिवादीगण को समझाया की उक्त भूमि का विधिक बंटवारा करवा लो प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एवं अब प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है। जबरन ताकत के बल पर वादीगण की भूमि जो अर्सा कदीम से बाह्मी बंटवारा मे आई हुई है, से जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर जबरन दीगर व्यक्तियों को कब्जा करवाने की धमकियां दे रहे है, कहने, सुनने, समझाने से मान नहीं रहे है तथा मौके पर कानूनहीनता की गम्भीर स्थिति पैदा कर रखी है। जिनका उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 07.05.2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमियों का विधिवत बंटवारा करने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण भडक गये तथा कहा कि हमारी पहुच बहुत ऊपर तक है तथा प्रतिवादीगण ने एहलानिया धमकी दी कि हम कभी भी मौका पाकर दीगर लोगों को वादीगण की भूमियो को दिखाकर भूमाफिया लोगों को संयुक्त रिकार्ड की आड में बैचान करेंगे तथा प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इन्कार हो गये। इसलिये वादकारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण बिना बंटवारा कराये उक्त वर्णित भूमियों का दीगर भूमाफियावृति के लोगों को बेचान करने पर आमादा हो रहे है। बाह्मी बंटवारा भंगकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं तथा कहने सुनने से मान [illegible] है तथा धमकी दे रहे है कि हम भूमि को दीगर भूमाफियावृत्ति [illegible] यदि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को [illegible] कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया तो वादीगण के भूमि मुतनाजा मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1

निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे। वादीगण अपने हिस्से की भूमियो से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगा। अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जिससे वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध एव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है एव प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2266, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 कुल किता 12 कुल रकबा 2.52 हैक्टर तन् ग्राम बडी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा पूर्व से चालू रास्ते की समुचित व्यवस्था के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जानें तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किया जाकर अलग से बट्टा नम्बर डाले जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2266, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 कुल किता 12 कुल रकबा 2.52 हैक्टर तन् ग्राम बड़ी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग मे कोई मजाहमत ना तो स्वयं करें ना ही दीगर से करावें, ना ही भूमि खसरा नम्बर 2311 व 2313 से होता हुआ रास्ता जो भूमि खसरा नम्बर 2266 तक जाता है को किसी भी प्रकार से अवरूद्ध करे, ना ही बंद करे, ना ही रास्ते को संकड़ा करे, ना ही कोई अतिक्रमण आदि करने बाबत यह वादपत्र वादीगण के द्वारा बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय में पेश कर अनुतोष चाहा गया है।

इस पर वादीगण के [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 16, 21 व 23 की ओर से श्री रामावतार सैनी–I एड0 ने [illegible]स्थित होकर वकालतनामे पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

04/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किये तथा जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर दिया गया। इसी दौरान पक्षकारान् वादीगण मे से वादी सख्या 2 व वादी सख्या 1 के पुत्र देवेन्द्र कुमार एव प्रतिवादीगण सख्या 1, 2, 9, 16, 21, 23 स्वय तथा प्रतिवादी सख्या 7 के पुत्र बृजमोहन पुत्र मागीलाल व अनिल कुमार सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी ने उपस्थित न्यायालय होकर प्रकरण मे पक्षकारान् की आपसी सहमति के आधार पर सीधे ही प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये तथा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

वही वकील प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 3, 7, 9, 18 व 22 की ओर से श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 प्रकरण मे जवाब दावा मय कोस दावा पेश कर पक्षकारान् की उक्त भूमियों से लगती हुई अन्य भूमियाँ जो ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 3, 3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 8 कुल रकबा 2.21 हैक्टर एंव ग्राम वडी ढाणी तन् थोई तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286 कुल किता 9 कुल रकबा 1.70 हैक्टर भूमियों का भी विभाजन पक्षकारान् के मध्य बुजुर्गों के समय अर्थात 60–70 वर्ष पूर्व ही हो जाने तथा उसी विभाजन अनुसार खसरा नम्बर 2314, 2273, 2275, 2266 कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 हैक्टर भूमि नाथूराम पुत्र दोलाराम के वारिसान के पास तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2276, 2277 कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 हैक्टर भूमि कानाराम व गीगाराम के वारिसान् के पास होने तथा खसरा नम्बर 2274 कुआ शामलाती मे होने तथा वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर 2266 में मकान बनाये होने तथा खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313 मे पुख्ता मकानात बने होने तथा [illegible] नम्बर 2313 के पूर्वी तरफ से मुरलीधर के मकान से पगडण्डी के [illegible] तरफ खाम डोल बनी होकर करीबन 3 फुट चौडाई की [illegible] 2274 तक इसके उत्तर की तरफ से खसरा नम्बर 2273, 2275 के मध्य से [illegible] होकर खसरा नम्बर 2273 के पूर्वी तरफ से पगडण्डी खसरा नम्बर 2266 तक बनी होने तथा उसी अनुसार उपयोग किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाना अंकित किया है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3, 7, 9, 18 व 22 ने कोस दावा पेश कर राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 3, 3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 8 कुल रकबा 2.21 हैक्टर भूमि जो आपस मे सीवजोड़ स्थित है तथा राजस्व ग्राम बडी ढाणी तन् थोई के भूमि खसरा नम्बर 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286 कुल किता 9 कुल रकबा 1.70 हैक्टर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2314, 2273, 2275, 2266 कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 हैक्टर व शेष भूमि खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2276, 2277 कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313 मे वर्णित भूमियो का विधिवत बंटवारा किये जाने हेतु निवेदन किया है। जिस पर उपस्थित पक्षकारान् वादी संख्या 2 एंव प्रतिवादीगण संख्या 1, 16, 21, 23 ने कोस वादपत्र अनुसार सम्पूर्ण भूमियों के विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एंव वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कोस वादपत्र अनुसार प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव मेंगवाये जाने हेतु अपनी स्वीकृति जाहीर की।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने तथा प्रकरण मे उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् की सहमति व अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 की लिखित स्वीकृति के आधार पर प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से पक्षकारान् के राजस्व रिका[illegible] अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से [illegible] प्रस्ताव मॅगवाया जाना उचित समझते है। वकील [illegible] मे विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्या[illegible]य द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनाक 15.06.2023 को जारी की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.06.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्राक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 मे वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्राक 1524/रीडर/2023 दिनाक 22.06.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुरेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों मे तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्राक 1113/भू.अ./2023 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न किये गये।

प्रकरण में शेष प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6, 8, 10 लगायत 15, 17, 19 से 20, 24 से 29 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये तीन माह से भी अधिक का समय हो चुका है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी तामील हो जाने पर भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6, 8, 10 लगायत 15, 17, 19 से 20, 24 से 29 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 7, 9, 18 व 22 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय क्रोस दावा का जवाब क्रोस दावा पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई जाकर जवाब क्रोस दावा शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण संख्या 16, 21 व 23 के द्वारा बावजूद अवसर व अन्तिम अवसरों के भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण सख्या 16, 21 व 23 के जवाब देही का [illegible] किया गया।

वकील वा[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6, 8, 10 लगायत 15, 17, 19 से 20, 24 से 29 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण सख्या 4 लगायत 6, 8, 10 लगायत 15, 17, 19 से 20, 24 से 29 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 16, 21 व 23 की जवाब देही का अवसर बन्द कर दिये जाने से तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा से वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड० के द्वारा ने सहमती व्यक्त दिये जाने से वादपत्र में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर वादपत्र में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मे अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर वादपत्र को अन्तिम बहस में रखा गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 2266, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 कुल किता 12 कुल रकबा 2.52 हैक्टर तन् ग्राम बड़ी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान एंव राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 3, 3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 8 कुल रकबा 2.21 हैक्टर भूमि जो आपस में सीवंजोड स्थित है तथा राजस्व ग्राम बड़ी ढाणी तन् थोई के भूमि खसरा नम्बर 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286 कुल किता 9 कुल रकबा 1.70 हैक्टर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2314, 2273, 2275, 2266 कुल किता 4 कुल रकबा 1.29 हैक्टर व शेष भूमि खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

24/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2315, 2316, 2276, 2277 कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 2311, 2312, 2313 मे वर्णित भूमियो की खातेदारी वादीगण एव प्रतिवादीगण 1 लगायत 26 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे दर्ज भूमियो का विधिक बटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 53 के प्रावधानों के अधीन बंटवारा अर्थात विधिक विभाजन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा से वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने अपनी – अपनी सहमति प्रकट की है। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा विधिक विभाजन हेतु आपसी सहमति बन जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर सीधे ही अन्तिम डिक्री जारी किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुकूल प्रकट होती है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 7, 9, 18 व 22 की ओर से प्रस्तुत कोस दावा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

––:: क्रियात्मक आदेश ::––

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एंव वकील प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 7, 9, 18 व 22 की ओर से प्रस्तुत कोस दावा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से

04/08/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 04.07.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :–

क्र स	खातेदार का नाम मय वल्दियत एवं हिस्सा	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म
1	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/4 हि.ब. चोथमल बाबूलाल बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी दोलाराम, रामोडीदेवी सन्तीदेवी पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/4 हि. ब. गीगा पुत्र परसा हिस्सा 1/4 अर्जूनलाल जगदीश बाबूलाल मोहनलाल पुत्रगण कानाराम , तीज चोथीदेवी पुत्रीया कानाराम हिस्सा 1/4 हि. ब. जाति माली सा. देह खातेदार	राजस्व ग्राम बडी ढाणी के खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 2266 वगै0 किता– 12	2.52 हैक्टर	बारानी 2
2	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/8 हि.ब. चोथमल बाबूलाल बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी दोलाराम, रामोडीदेवी सन्तीदेवी पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/8 हि. ब. गीगा पुत्र प[illegible] हिस्सा 1/4 अर्जूनलाल जगदीश बाबूलाल मोहनलाल पुत्रगण कानाराम , तीज चोथीदेवी पुत्रीया कानाराम हिस्सा 1/4 हि. ब.	राजस्व ग्राम बडी ढाणी के खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 2278 वगै0 [illegible] 9	1.70 हैक्टर	चाही 2 एवं चाही 2 जाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	बसन्तकुमार महेन्द्र फूलचन्द पिता जोधा छोटीदेवी धोलीदेवी बस्नीदेवी मंगलीदेवी पिता जोधा हिस्सा 1/8 किशोरकुमार पूरणमल पिता भीखा आची पत्नी भीखा कमलादेवी पुष्पादेवी सोनीदेवी पुत्रीयां भीखा हिस्सा 1/8 हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार			
3	कैलाशचन्द्र पुत्र धोंकल हिस्सा 1/2 राहिन आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा श्रीमाधोपुर , जोधाराम दोलाराम नाथूराम भींवाराम पुत्रगण परसा हिस्सा 1/4 हि.ब. श्योनारायण पुत्र सेडू जाति माली सा. देह खातेदार हिस्सा - 1/4	राजस्व ग्राम रामपुरा के खाता संख्या 114 के ख्सरा नम्बर 10 किता– 8	2.21 हैक्टर	चाही 1 बारानी 1

मौके के अनुसार बंटवारा/विभाजन प्रस्ताव :–

राजस्व ग्राम:– बड़ी ढ़ाणी (थोई)

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत एवं हिस्सा	ख0 नं0	रकबा (हैक्टर)	किस्म
1	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/2 हि.ब. चोथमल बाबूलाल बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी दोलाराम, रामोडीदेवी सन्तीदेवी पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/2 हि. ब. जाति माली सा. देह खातेदार	2266 2273/1 2275/1 2314/1	0.48 0.19 0.2160 0.34	बारानी–2
2	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/4 हि.ब. चोथमल [illegible] बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी दोलाराम, [illegible] पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/4 हि. ब. बसन्तकुमार महेन्द्र फूलचन्द	2278/2 2279/2 2282/2 2283/2 2284	0.1130 0.11 0.09 0.1640 0.33	चाही–2 एव चाही–2 जाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	पिता जोधा छोटीदेवी छोटीदेवी ~~[illegible]~~ बड़ली देवी मंगलीदेवी पिता जोधा हिस्सा 1/4 किशोरकुमार पूरणमल पिता जोधा आनी पत्नी जोधा कमलादेवी पुष्पादेवी सोनीदेवी पुत्रीया जोधा हिस्सा 1/4 हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार			
3	मांगीलाल सीताराम मदनलाल पुत्रगण गीगा	2311	0.05	बारानी 1
	ग्यारसीदेवी पत्नी गीगा मनभरी देवी सुशीला राधा छोटीदेवी पोषादेवी	2312	0.14	चाही 2
	पुत्रीया गीगा हिस्सा 1/2 हि.ब.	2313/2	0.1650	बाद
	जगदीश बाबूलाल मोहनलाल पुत्रगण कानाराम तीज चोथी देवी पुत्रीया	2316	0.17	
	कानाराम हिस्सा 5/12 हि.ब.	2315/1	0.1930	
	दिनेश राजेन्द्र श्रीराम पुत्रगण अर्जुनलाल गुड्डी पत्नी अर्जुनलाल	2276	0.20	
	गीता सुण्डी पुत्रीया अर्जुनलाल हिस्सा 1/12 जाति माली सा. देह	2277/1	0.2340	
	खातेदार	2286/2	0.1130	
		2285/2	0.0860	
		2280	0.16	
		2281	0.47	
		2274/1	0.01	
4	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी	2273/2	0.02	गै0मु0
	पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/4 हि.ब. [illegible]	2275/2	0.0050	रास्ता
	बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी [illegible]	[illegible]	0.0090	
	पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/4 हि. ब. मांगीलाल सीताराम [illegible]	2314/2	0.03	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

04/12/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	पुत्रगण गीगा ग्यारसीदेवी पत्नी गीगा मनभरी देवी सुशीला राधा छोटीदेवी पोथादेवी पुत्रीया गीगा हिस्सा 1/4 हि.ब. जगदीश बाबूलाल मोहनलाल पुत्रगण कानाराम तीज चोथी देवी पुत्रीया कानाराम हिस्सा 5/24 हि.ब. दिनेश राजेन्द्र श्रीराम पुत्रगण अर्जुनलाल भूरी पत्नी अर्जुनलाल गीता सुण्डी पुत्रीया अर्जुनलाल हिस्सा 1/24 जाति माली सा. देह खातेदार	2313/1 2315/2 2277/2	0.0250 0.0070 0.0160	
5	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/8 हि.ब. चोथमल बाबूलाल बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी दोलाराम, रामोडीदेवी सन्तीदेवी पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/8 हि. ब. मांगीलाल सीताराम मदनलाल पुत्रगण गीगा, ग्यारसीदेवी पत्नी गीगा, मनभरी देवी सुशीला राधा छोटीदेवी पोथादेवी पुत्रीया गीगा हिस्सा 1/4 हि.ब. जगदीश बाबूलाल मोहनलाल पुत्रगण कानाराम तीज चोथी देवी पुत्रीया कानाराम हिस्सा 5/24 हि.ब. दिनेश राजेन्द्र श्रीराम पुत्रगण अर्जुनलाल भूरी पत्नी अर्जुनलाल गीता सुण्डी पुत्रीया अर्जुनलाल हिस्सा 1/24 बसन्तकुमार महेन्द्र फूलचन्द पिता जोधा छोटीदेवी धोलीदेवी ~~बसन्ती~~ बरजीदेवी मंगलीदेवी पिता जोधा हिस्सा 1/8 किशोरकुमार पूरणमल पिता भीखा आची पत्नी भीखा कमलादेवी पुष्पादेवी सोनीदेवी पुत्रीयां भीखा हिस्सा 1/8 हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार	2278/1 2279/1 2282/1 2283/1 2285/1 2286/1 2274/2	0.0070 0.02 0.02 0.0060 0.0040 0.0070 0.02	गै०मु० रास्ता

राजस्व ग्रामः– रामपुरा (थोई)

6	कैलाशचन्द्र पुत्र धोंकल हिस्सा [illegible] आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा श्रीमाधोपुर	3/1 4/1 10	0.38 0.3850 0.34	चाही 1 बारानी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

04/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/4 हि.ब. चोथमल बाबूलाल बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी दोलाराम, रामोडीदेवी सन्तीदेवी पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/4 हि. ब. बसन्तकुमार महेन्द्र फूलचन्द पिता जोधा छोटीदेवी धोलीदेवी ~~सन्ती~~ बरजीदेवी मंगलीदेवी पिता जोधा हिस्सा 1/4 हि.ब. किशोरकुमार पूरणमल पिता भीखा आची पत्नी भीखा कमलादेवी पुष्पादेवी सोनीदेवी पुत्रीयां भीखा हिस्सा 1/4 हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार	3/7782/2 6 7	0.22 0.15 0.13	चाही 1 बारानी 1
8	मांगीलाल सीताराम मदनलाल पुत्रगण गीगा ग्यारसीदेवी पत्नी गीगा मनभरी देवी सुशीला राधा घोटीदेवी पोथादेवी पुत्रीया गीगा हिस्सा 1/2 हि.ब. जगदीश बाबूलाल मोहनलाल पुत्रगण कानाराम तीज चोथी देवी पुत्रीया कानाराम हिस्सा 5/12 हि.ब. दिनेश राजेन्द्र श्रीराम पुत्रगण अर्जुनलाल भूरी पत्नी अर्जुनलाल गीता सुण्डी पुत्रीया अर्जुनलाल हिस्सा 1/12 जाति माली सा. देह खातेदार	5/1 8 3/7782/1	0.1220 0.13 0.26	चाही 1 बारानी 1
9	रामगोपाल सुवालाल मुरलीधर प्रहलाद पिता नाथूराम, मुरलीदेवी पांचीदेवी पुत्रीया नाथूराम हिस्सा 1/8 हि.ब. चोथमल बाबूलाल बिरदीचन्द पिता दोलाराम, दाखा पत्नी दोलाराम, रामोडीदेवी सन्तीदेवी पुत्रीया दोलाराम हिस्सा 1/8 हि. ब. मांगीलाल सीताराम मदनलाल पुत्रगण गीगा ग्यारसीदेवी पत्नी गीगा मनभरी देवी सुशीला राधा घोटीदेवी पोथादेवी पुत्रीया गीगा हिस्सा 1/4 हि.ब. [illegible] मोहनलाल पुत्रगण कानाराम तीज चोथी देवी [illegible] 5/24 हि.ब. दिनेश राजेन्द्र श्रीराम पुत्रगण [illegible] अर्जुनलाल गीता सुण्डी पुत्रीया अर्जुनलाल हिस्सा 1/24 बसन्तकुमा[illegible]	3/2 4/2 4/3 5/2	0.03 0.03 0.0250 0.0080	गै० मु० रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

25/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

महेन्द्र फूलचन्द पिता जोधा छोटीदेवी घोलीदेवी ~~नस्नी~~देवी बरजी मंगलीदेवी पिता जोधा हिस्सा 1/8 किशोरकुमार पूरणमल पिता भीखा आची पत्नी भीखा कमलादेवी पुष्पादेवी सोनीदेवी पुत्रीयां भीखा हिस्सा 1/8 हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार			

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1113 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:43:01 IST
Reason: SelfAttested